मध्यप्रदेश शासन
सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग
मंत्रालय

क्रं./ सा.सहा./विवाह/आर-376/26-2 भोपाल,दिनांक 19 /02/2020

प्रति,

समस्त कलेक्टर,
मध्य प्रदेश

विषय :- मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह योजना का विवाह पोर्टल के माध्यम से बेहतर क्रियान्वयन के संबंध में।

उपरोक्त विषयांतर्गत जैसा कि विदित है सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग द्वारा शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता वाली योजनाओं में से एक मुख्यमंत्री कन्या विवाह एवं मुख्यमंत्री निकाह योजना का क्रियान्वयन वर्ष 2014 से समग्र विवाह पोर्टल के माध्यम से किया जा रहा है, जिसके संबंध में शासन तथा संचालनालय द्वारा समय-समय पर मैदानी अमले को दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं।

2. समग्र विवाह पोर्टल के माध्यम से और अधिक बेहतर एवं पारदर्शी तरीके से मुख्यमंत्री कन्या विवाह एवं मुख्यमंत्री निकाह योजना का क्रियान्वयन करने हेतु पूर्व में जारी दिशा-निर्देशों में आंशिक संशोधन करते हुए निम्नानुसार निर्देश जारी किए जाते हैं :-

2.1. शासन का पत्र क्रमांक 1596/2230/2019/26-2 जोकि दिनांक 29/11/2019 को जारी किया गया है, में वर्ष 2020 में विवाह/निकाह की निर्धारित तिथि को विवाह पोर्टल पर प्रदर्शित किया गया है। अत: जनपद पंचायत/नगरीय निकायों द्वारा शासन द्वारा निर्धारित उक्त तिथियों में ही योजनांतर्गत सामूहिक विवाह/निकाह कार्यक्रम आयोजित किये जायें तथा आयोजित विवाह कार्यक्रम की विवाह पार्टल में प्रविष्टि भी जाये।

2.2. आवेदकों द्वारा विवाह/निकाह कार्यक्रम में विवाह/निकाह करने हेतु आवेदन विवाह/निकाह तिथि से कम से कम 3 दिवस पूर्व उस जनपद पंचायत/नगरीय निकाय में किया जायेगा, जहां शासन द्वारा निर्धारित तिथि को विवाह/निकाह कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। संबंधित जनपद पंचायत/नगरीय निकाय द्वारा विवाह/निकाह की तिथि तक उक्त आवेदनों का विवाह पोर्टल पर पंजीयन अनिवार्यत: किया जाये। पंजीयन करते समय आवेदिका की समग्र आईडी, आधार नम्बर, मोबाइल नम्बर, बचत खाता नम्बर, आई.एफ.एस.सी. कोड, फोटो एवं आयु प्रमाण पत्र इत्यादि को पोर्टल पर दर्ज/अपलोड किया जाये। इसी प्रकार वर की समग्र आईडी (केवल म.प्र. के निवासी के लिये अनिवार्य), आधार नम्बर, मोबाइल नम्बर, फोटो एवं आयु प्रमाण पत्र को विवाह पोर्टल पर दर्ज/अपलोड किया जाये।

2.3. शासन के पूर्व निर्देशानुसार समग्र आईडी तथा शासन की अधिसूचना क्रमांक 1682/731/19/26-2 दिनांक 9/12/2019 में योजनाओं में लाभ प्रदान किये जाने हेतु व्यक्तियों की पहचान के लिए मध्य प्रदेश आधार (वित्तीय और अन्य सहायकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) की अपेक्षानुसार आधार नम्बर का उपयोग अनिवार्य किया गया है। अत: समस्त आवेदको से आधार नम्बर अनिवार्यत: लिया जाये।

2.4. विवाह/निकाह कार्यक्रम में जिन आवेदकों द्वारा भाग लिया गया है, उन सभी का विवाह/निकाह कार्यक्रम के उपरांत 7 दिवस में सत्यापन जनपद पंचायत/नगरीय निकाय द्वारा किया जाये। सत्यापन के दौरान दस्तावेज के आधार पर आवेदक को पात्र/अपात्र किया जाये।

2.5. सत्यापन में पात्र होने के उपरांत विवाह/निकाह प्रमाण-पत्र एवं स्वीकृति आदेश (प्रारूप परिशिष्ट – 'A') फोटो सहित विवाह पोर्टल पर जेनरेट किया जाये।

2.6. विवाह/निकाह कार्यक्रम के आयोजन में होने वाले व्यय प्रति पात्र हितग्राही के मान से रू. 3000/- का नियमानुसार संबंधित जनपद पंचायत/नगरीय निकाय, जिसके द्वारा सामूहिक विवाह/निकाह कार्यक्रम आयोजित किया गया है, के खातें में भुगतान करने हेतु पंजीयन किया जाये, जिसमें जनपद पंचायत/नगरीय निकाय का नाम, अधिकारी का नाम, अधिकारी का मोबाइल नम्बर, कार्यालय का बचत खाता नम्बर, आई.एफ.एस.सी. कोड एवं पासबुक की प्रति को विवाह पोर्टल पर दर्ज/अपलोड किया जाये।

2.7. जिन पात्र हितग्राहियों के विवाह /निकाह प्रमाण पत्र पोर्टल पर जेनरेट हो गये है, उन्हें विवाह/निकाह योजना की राशि का भुगतान करने हेतु स्वीकृति ओदश (प्रारूप परिशिष्ट – 'B') जेनरेट कर संबंधित जनपद पंचायत/नगरीय निकाय के अधिकारी द्वारा स्वीकृति आदेश पर हस्ताक्षर कर ओ.टी.पी. सत्यापन के उपरांत जिले के संयुक्त/उप संचालक, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण को ऑनलाइन एवं ऑफलाइन प्रेषित किया जाये।

2.8. जनपद पंचायत/नगरीय निकाय से स्वीकृति उपरांत भुगतान हेतु प्रेषित हितग्राहियों की सूची जिले के संयुक्त/उप संचालक, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण को उनके यूजर पर प्रदर्शित होगी। जनपद पंचायत/नगरीय निकाय से प्राप्त स्वीकृति आदेश पर अंकित सत्यापन कोड को अंकित कर जिले के संयुक्त / उप संचालक, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण (डी.डी.ओ.) द्वारा कोषालय से भुगतान हेतु बजट शीर्षवार (मदवार) आदेश (प्रारूप परिशिष्ट – 'C') जेनरेट किये जाकर अधिकतम 7 दिवस में पात्र प्रति हितग्राही को नियमानुसार राशि रू. 48000/- तथा संबंधित आयोजक जनपद पंचायत/नगरीय निकाय को प्रति हितग्राही रू. 3000/- के मान से कोषालय के माध्यम से उनके बैंक खाते में भुगतान किया जाये। भुगतान की सम्पूर्ण स्थिति विवाह पोर्टल पर प्रदर्शित करने हेतु भुगतान वाउचर नम्बर एवं तिथि सहित विवाह पोर्टल पर अनिवार्यत: प्रविष्टि की जाये।

उपरोक्तानुसार प्रक्रिया का पालन करते हुये निर्धारित समय-सीमा में ही आवेदनों का पंजीयन, दस्तावेज के आधार पर सत्यापन एवं भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

(जे. एन. कांसोटिया)
अपर मुख्य सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण

पृ.क्र./ / सा.सहा./विवाह/आर-376/26-2 भोपाल, दिनांक 19 /02/2020

प्रतिलिपि:-

1. निज सचिव, माननीय मंत्री, म.प्र. शासन, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण म.प्र. की ओर सूचनार्थ।
2. अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, म.प्र.।
3. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग, म.प्र.।
4. संचालक, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण, म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. समस्त आयुक्त, संभाग, म.प्र.।
6. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी. म.प्र.।
7. समस्त आयुक्त नगर निगम, म.प्र.।
8. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, म.प्र.।
9. श्री सुनील जैन, वरिष्ठ तकनीकी संचालक, एन.आई.सी. म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
10. समस्त संयुक्त/उप संचालक, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
11. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
12. समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका/नगर पंचायत की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
13. समस्त समग्र सामाजिक सुरक्षा विस्तार अधिकारियों की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण

परिशिष्ट–'A'

सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग

जिला : ....व स्थानीय निकाय का नाम......................... म.प्र.

<u>मुख्यमंत्री कन्या विवाह/ निकाह योजना के अंतर्गत सम्पन्न विवाह/ निकाह का प्रमाण पत्र</u>

स्वीकृति आदेश

पंजीकयन क्रमांक ----------------------------- दिनांक : ----------------

समग्र आईडी :

वधु का फोटो	वर का फोटो

आवेदिका का नाम :

लिंग :

जन्म दिनांक (आयु) :

पिता का नाम :

जाति वर्ग :

बैंक शाखा का नाम व आई.एफ.एस कोड :

आवेदिका का बचत खाता नम्बर :

पता :

नि:शक्तता का प्रकार व प्रतिशत (नि:शक्त होने पर) :

वर का नाम एवं समग्र आईडी :

लिंग :

जन्म दिनांक (आयु) :

जाति वर्ग :

सामूहिक विवाह की दिनांक एवं स्थान :

विवाह/निकाह योजना के अंतर्गत आवेदक को प्रोत्साहन राशि प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

नव-दम्पत्ति के सुखमय जीवन एवं उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं।

स्थान :

दिनांक : हस्ताक्षर व सील

अधिकारी का नाम : ....

पदनाम : ....

मोबाइल नम्बर : ....

निकाय का नाम : ....

जिला : .... मध्यप्रदेश

परिशिष्ट–‘B’

भुगतान की अनुशंसा करने हेतु समेकित स्वीकृति आदेश (**OTP based**) **at Local Body**

	कार्यालय : << स्थानीय निकाय का नाम >> जिला : << जिले का नाम >>	

<<मुख्यमंत्री कन्या विवाह / निकाह>> योजना अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को भुगतान करने हेतु स्वीकृति आदेश

आदेश क्रं./<<Year>>/<< Sanctioned Order Number>> **Dated:**

<< मुख्यमंत्री कन्या विवाह/ निकाह >> योजना अंतर्गत शासन द्वारा निर्धारित तिथि << आयोजन की दिनांक >> में आयोजित << विवाह / निकाह >> कार्यक्रम में शामिल एवं दस्तावेजों के परीक्षण उपरांत पात्र पाई गई निम्न कन्याओं को पात्रतानुसार <<मुख्यमंत्री कन्या विवाह/ निकाह>> योजना का भुगतान करने हेतु स्वीकृति प्रदान की जाती है। निम्न हितग्राहियों को पात्रतानुसार भुगतान किया जाना है :-

No	Samagra ID	कन्या का नाम (Hindi + English)	कन्या की आयु	वर्ग	वर का नाम (Samagra ID)	वर की आयु	कन्या का बचत खाता नम्बर	IFS Code	कन्या का मोबाइल नम्बर	Amount
1							2010485278	UBIN0542504		48000
2										48000
3										48000
	कुल योग									₹

भुगतान आदेश क्रं. .... कुल हितग्राही .... कुल राशि .... सत्यापन कोड ....

उपरोक्त समस्त हितग्राहियों को दस्तावेज के आधार पर सत्यापित किया जाकर पंजी में दर्ज किया गया है एवं सभी हितग्राहियों के दस्तावेजों को प्रमाणित कर ऑडिट हेतु कार्यालय की नस्ती में सुरक्षित रखे गये है। नाम, बैंक खाता संख्या, Branch IFS कोड या अन्य किसी भी प्रकार की जानकारी गलत / अपूर्ण होने की स्थिति में राशि का भुगतान नहीं होने या त्रुटि पूर्ण भुगतान होने की स्थिति में संपूर्ण ज़िम्मेदारी अधोहस्ताक्षरकर्ता की होगी। भुगतान आदेश की प्रति कार्यालय की नस्ती में संधारित की जाएगी। अतः पात्रतानुसार <<मुख्यमंत्री कन्या विवाह/ निकाह>> में शामिल पात्र हितग्राहियों को भुगतान करने की अनुशंसा की जाती है। साथ ही हितग्राहियों की संख्या के मान से प्रति हितग्राही राशि रू. 3000/- का भुगतान विवाह आयोजित करने हेतु << स्थानीय निकाय का नाम का नाम >> को किया जाना है।

स्थानीय निकाय का नाम	अधिकारी का नाम एवं पदनाम	मोबाइ नम्बर	कार्यालय का आई.एफ.एस. कोड	कार्यालय का खाता नम्बर	कुल पात्र हितग्राहियों की संख्या	राशि रू. 3000/- प्रति हितग्राही के मान से कुल राशि

हस्ताक्षर एवं सील

(<<अधिकारी का नाम>>)
<< Mobile Number >>
स्थानीय निकाय का नाम - << स्थानीय निकाय का नाम का नाम >>
जिला - << जिले का नाम >>

प्रतिलिपि :-

1. जिला कलेक्टर, जिला - << जिले का नाम >> म.प्र.।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, जिला - << जिले का नाम >> म.प्र.।
3. संयुक्त/उप संचालक, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण, जिला - << जिले का नाम >> म.प्र. की ओर भुगतान करने के लिये आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

परिशिष्ट–‘C’

मदवार एवं वर्गवार भुगतान हेतु स्वीकृति आदेश (at JD/DD SJ - DDO level)

	कार्यालय : << कार्यालय का नाम >> जिला : << जिले का नाम >>	

<<मुख्यमंत्री कन्या विवाह / निकाह>> योजना अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को भुगतान हेतु स्वीकृति आदेश

आदेश क्रं./<<Year>>/<<Order Number>> **Dated:**

<< **मुख्यमंत्री कन्या विवाह/ निकाह** >> **योजना अंतर्गत शासन द्वारा निर्धारित तिथि** << **आयोजन की दिनांक** >> **में** << **स्थानीय निकाय का नाम का नाम** >> **द्वारा आयोजित** << **विवाह / निकाह** >> **कार्यक्रम में शामिल पात्र कन्याओं को भुगतान हेतु** << **स्थानीय निकाय का नाम का नाम** >> द्वारा स्वीकृति आदेश << **Sanctioned Order Number**>> **से** स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः **पात्रतानुसार** <<**मुख्यमंत्री कन्या विवाह/ निकाह**>> **योजना अंतर्गत भुगतान करने हेतु लेखा शीर्ष** << **Budget Head** >> **से स्वीकृति प्रदान की जाती है।**

योजना का नाम : << **मुख्यमंत्री कन्या विवाह/ निकाह** >> **योजना** **वर्ग :-**

लेखा शीर्ष :- << **बजट शीर्ष** >> **डी.डी.ओ. नम्बर :-**

निम्न हितग्राहियों को पात्रतानुसार भुगतान किया जाना है :-

No	Samagra ID	कन्या का नाम (Hindi + English)	कन्या की आयु	वर्ग	वर का नाम (Samagra ID)	वर की आयु	कन्या का बचत खाता नम्बर	IFS Code	हितग्राही का मोबाइल नम्बर	Amount
1										48000
2										48000
3										48000
	कुल योग									₹

भुगतान आदेश क्रं. .... कुल हितग्राही .... कुल राशि .... सत्यापन कोड ....

उपरोक्त समस्त हितग्राहियों को << स्थानीय निकाय का नाम का नाम >> द्वारा स्वीकृति आदेश उपरांत भुगतान किया जा रहा है, << स्थानीय निकाय का नाम का नाम >> द्वारा की गई अनुशंसा एवं स्वीकृति आदेश की प्रति को पंजी में दर्ज किया गया है एवं दस्तावेजों को प्रमाणित कर ऑडिट हेतु कार्यालय की नस्ती में सुरक्षित रखे गये है। अतः पात्रतानुसार <<**मुख्यमंत्री कन्या विवाह/ निकाह**>> में शामिल पात्र हितग्राहियों को भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। साथ ही हितग्राहियों की संख्या के मान से प्रति हितग्राही राशि रू. 3000/- का भुगतान विवाह/ निकाह कार्यक्रम आयोजित करने हेतु << स्थानीय निकाय का नाम का नाम >> को किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

स्थानीय निकाय का नाम	अधिकारी का नाम एवं पदनाम	मोबाइ नम्बर	कार्यालय का आई.एफ.एस. कोड	कार्यालय का खाता नम्बर	कुल पात्र हितग्राहियों की संख्या	राशि रू. 3000/- प्रति हितग्राही के मान से कुल राशि

हस्ताक्षर एवं सील

(<<डी.डी.ओ. का नाम>>)
<< Mobile Number >>
जिला - << जिले का नाम >>

प्रतिलिपि :-

1. आयुक्त/संचालक, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण, म.प्र.।
2. जिला कलेक्टर, जिला - << जिले का नाम >> म.प्र.।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, जिला - << जिले का नाम >> म.प्र.।